



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274289  
CG-DL-E-08072026-274289

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं. 26/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 602(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम सं. 6ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6ट.	3919 90 90, 8505 11 90 या 8544 11 10	सेलुलर मोबाइल फोनों की वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) एनसी (नैनो-क्रिस्टलाइन) असेंबली; (ii) ई-शील्ड; (iii) पीईटी लाइनर; (iv) पीसी शिम (जेड-लाइनर सहित); (v) मेन स्ट्रैंडेड कॉइल और एनएफसी कॉइल; (vi) एनडीएफईबी मैग्नेट; परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद लागू नहीं होगी	शून्य	1";

- (ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"स्पष्टीकरण 2.**— इस अधिसूचना के क्रम संख्या 6ट के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "एनसी (नैनो-क्रिस्टलाइन) असेंबली" एक संयुक्त असेंबली है, जिसमें नैनो-क्रिस्टलाइन सामग्री, कॉपर फॉइल और ग्रेफाइट को एकल परतदार संरचना के रूप में एम्बॉस किया जाता है और इसे चालक यूवी पीईटी फिल्मों के बीच आवेष्टित किया जाता है। यह असेंबली कॉइलों के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, जबकि कॉपर फॉइल और ग्रेफाइट की परतें ईएमआई शील्डिंग और ऊष्मा अपव्यय का कार्य करती हैं;
- (ख) "ई-शील्ड" में चालक पीएसए (प्रेसर सेंसिटिव एडहेसिव्स) और चालक फिल्म होती है, जो स्वचालन की सुविधा के लिए रोल रूप में प्राप्त होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई) ग्राउंडिंग और शील्डिंग प्रयोजनों के लिए किया जाता है तथा यह अन्य उपकरणों के साथ हस्तक्षेप को रोकने में सहायता करती है;
- (ग) "पीईटी लाइनर" एक पॉलिएस्टर (पीईटी) पतली पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म है, जिसमें कॉइल से जुड़ा एडहेसिव होता है, ताकि विनिर्माण प्रक्रिया में स्वचालित असेंबली के लिए कॉइल को स्थापित और अभिमुख करने हेतु कॉइल इंटीग्रेशन असेंबली प्रक्रिया को संभाला जा सके;

- (घ) “पीसी शिम (जेड-लाइनर सहित)” रिंग संरचना के रूप में, स्वचालन में फीड किए जाने हेतु रोल रूप में, एक प्लास्टिक सामग्री है, जिसका उपयोग एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) काँइल को समकेंद्रीय वृत्त में धारण करने के लिए यांत्रिक सहारे के रूप में किया जाता है;
- (ङ) “मेन स्ट्रैंडेड काँइल” से अभिप्राय वायरलेस चार्जिंग में प्रयुक्त काँइलों से है तथा एनएफसी काँइल का उपयोग नियंत्रण सर्किट बोर्ड को वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है;
- (च) “एनडीएफईबी मैग्नेट” से रिसेवर और ट्रांसमीटर के बीच अलाइनमेंट और कपलिंग के लिए प्रयुक्त नियोडिमियम-आयरन-बोरोन आधारित मैग्नेट अभिप्रेत हैं।”।

[फा. सं. 190354/81/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 330(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2026 द्वारा अधिसूचना सं. 14/2026-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2026

**No. 26/2026-Customs**

**G.S.R. 602(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(i) in the TABLE, after S. No. 6J and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6K.	3919 90 90, 8505 11 90 or 8544 11 10	The following goods for use in the manufacture of Inductor Coil Module used in cellular mobile phones for wireless charging, namely: -  (i) NC (Nano-Crystalline) Assembly; (ii) E-Shield; (iii) PET Liner; (iv) PC Shim (with Z-Liner);	Nil	1”;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(v) Main Stranded Coil and NFC Coil; (vi) NdFeB Magnets:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect after 31 <sup>st</sup> March, 2029		

(ii) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“**Explanation 2.**— For serial number 6K of this notification, -

- (a) "NC (Nano-Crystalline) Assembly" is a composite assembly comprising nano-crystalline material, copper foil, and graphite embossed together as a single layered structure encapsulated between conductive UV PET films. The assembly performs the function of converting magnetic flux into electrical energy through coils, while copper foil and graphite layers provide EMI shielding and heat dissipation;
- (b) "E-Shield" consists of conductive PSA (Pressure Sensitive Adhesives) and conductive film received in roll form to accommodate automation. It is used for Electro Magnetic Interference (EMI) grounding, shielding purposes and helps to prevent interference with other devices;
- (c) "PET Liner" is a Polyester (PET) thin transparent plastic film and has adhesive attached to the coil to handle coil integration assembly process to locate and orient the coil for automation assembly in the manufacturing process;
- (d) "PC Shim (with Z-Liner)" in the form of ring structure (roll form) to feed to automation is a plastic material used as a mechanical support for holding NFC (Near Field Communication) coil in concentric circle;
- (e) "Main Stranded Coil" means the coils used in the wireless charging and the NFC coil is used to supply voltage to the control circuit board;
- (f) "NdFeB Magnets" means neodymium-iron-boron based magnets used for alignment and coupling between the receiver and the transmitter.”.

[F. No. 190354/81/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No. 57/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 14/2026-Customs, dated the 30<sup>th</sup> April, 2026, *vide* number G.S.R. 330(E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2026.